शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0 लखनऊ।

कार्यालय ज्ञाप

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण के लिये विद्यालयों की आय/सम्पत्ति का उपयोग किये जाने हेतु विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना विकसित किये जाने हेतु एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें आपके सुझाव अपेक्षित है। उक्त ड्राफ्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट– पर उपलब्ध है।

उक्त ड्राफ्ट इस आशय के साथ प्रसारित किया जा रहा कि ड्राफ्ट के सम्बन्ध में आपके सुझाव ई–मेल– **schoolincomesuggestion@gmail.com** में दिनांक 27.01.2023 तक सादर आमंत्रित है।

डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: डी0ई/ 3429 /2022–23 दिनांक 20 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उ0प्र0 प्रयागराज।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ड्राफ्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराने के साथ ड्राफ्ट के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 29.01.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के अधीन समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को उक्त ड्राफ्ट के व्यापक प्रसार–प्रसार हेतु निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करें।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों मे उक्त ड्राफ्ट का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/शिक्षक/विद्यार्थी/आमजन, समस्त माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज से मान्यता प्राप्त।

20/01/23
डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0 लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की आय/सम्पत्ति का उपयोग कर, विद्यालयों की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्ययोजना/ड्राफ्ट

1– माध्यमिक विद्यालयों की आय/सम्पत्ति का उपयोग कर, विद्यालयों की आय बढ़ाने के प्रस्तावित कारक निम्नवत् हैः–

(1) सड़कों, बाजारों, राजमार्गो पर अथवा उनके सन्निकट विद्यालयों में मान्यता के समय स्वीकृत मानक से अतिरिक्त अधिक खाली पड़ी जमीनों पर छात्रों से सम्बन्धित गतिविधियों यथा–खेल, सांस्कृतिक कार्य, प्रदर्शनी, बागवानी आदि के सम्बन्ध में आय अर्जित किये जाने के उददेश्य से अनुमति दिये जाने पर विचार किया जाये।

(2) विद्यालय की अतिरिक्त कृषि योग्य अथवा अन्य भूमि को पट्टे/बटाई आदि पर देकर उससे होने वाली आय को विद्यालय के विकास में प्रयोग किया जाये।

(3) विद्यालय में अवकाश दिवस को वैवाहिक एवं अन्य उत्सवों हेतु विद्यालय प्रांगण(क्रीडा स्थल को छोडकर) को किराये पर देकर उससे होने वाली आय का उपयोग विद्यालयों के विकास के लिए किया जाये। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उत्सवों या समारोह हेतु अस्थायी निर्माण यथा–पाण्डाल, मण्डप/स्टाल आदि को छोड़कर, अन्य कोई भी स्थायी निर्माण आदि विद्यालय प्रांगण में किसी भी दशा में नहीं कराया जायेगा।

(4) क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर युवाओं एवं छात्रों को स्वस्थ रखने हेतु बिना शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित किए व्यावसायिक जिम/स्वीमिंग पूल आदि विकसित कर जिनका उपयोग छात्रों द्वारा तथा अतिरिक्त समय में स्थानीय निवासियों/छात्रों द्वारा करके तथा उससे होने वाली आय विद्यालय के विकास में की जा सकती है।

(5) जिन विद्यालयों में मान्यता के समय स्वीकृत मानक के अतिरिक्त स्थान एवं कमरे उपलब्ध हैं अथवा **विद्यालय अवधि के पश्चात, विद्यालय में नर्सरी, प्राथमिक, माण्टेसरी कक्षाएं संचालित कर तथा** कम्प्यूटर शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम का संचालन कर विद्यालय की आय बढ़ाने हेतु किया जा सकता है।

(6) व्यावसायिक कैंटीन, अस्थायी दुकानें एवं हाट/बाजार संचालित कर उससे होने वाली आय का उपयोग विद्यालय के विकास में किया जा सकता है।

(7) विद्यालयों की दूरस्थ स्थित निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि को अधिनियमित व्यवस्था के अन्तर्गत **अनुमति प्राप्त कर विक्रय(सर्किल रेट अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो) कर उससे प्राप्त होने वाली धनराशि बैंक/वित्तीय संस्था में सावधि जमा खातों में जमा करा दिया जाये और उस पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि को अर्जित आय के रूप में विद्यालयों के विकास में लगाये जाने पर विचार किया जा सकता**

है। इसके अतिरिक्त विद्यालय की दूरस्थ भूमि के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि से समतुल्य मूल्य की भूमि विद्यालय परिसर से 100 मीटर के परिक्षेत्र में उपलब्ध क्षेत्र से क्रय किया जा सकता है अथवा बिक्रीत भूमि से प्राप्त धनराशि से विद्यालय में नवीन निर्माण भी किये जाने पर विचार किया जाय।

(8) विद्यालय में उक्तानुसार क्रम संख्या–7 के सन्दर्भ में भूमि बिक्री का औचित्य, न्यूनतम सर्किल दर तथा अधिकतम बाजार मूल्य का निर्धारण और उससे होने वाली आय को सावधि खाते में जमा करने अथवा विद्यालय के सन्निकट नवीन भूमि का क्रय किये जाने अथवा अर्जित धनराशि से विद्यालय में नवीन निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों से आय अर्जित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के औचित्य का निर्धारण, आय अर्जित हेतु प्राप्त प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली धनराशि का मूल्यांकन एवं अर्जित आय का प्रस्तावित संस्थाहित में सदुपयोग का परीक्षण उ0प्र0 शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावित एवं कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है :–

(i) जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ii) मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
(iii) जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
(iv) वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(v)सम्बन्धित विद्यालय का प्रबन्धक	सदस्य
(vi)सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य

2– विद्यालय की भूमि/भवन का व्यावसायिक उपयोग कर आयवृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन ही स्वीकार किया जा सकेगाः–

(1) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी दशा में विद्यालय के शैक्षिक, पाठ्य सहगामी एवं आवागमन संबंधी गतिविधियों आदि पर विपरीत असर न पड़े।

(2) प्रबन्ध समिति का कोई प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921, वेतन वितरण अधिनियम, 1971 एवं उ0प्र0 शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974में प्रख्यापित प्राविधानों तथा इससे सम्बन्धित यदि राज्य सरकार के कोई नियम लागू हैं व इस सम्बन्ध में सम्प्रति अथवा भविष्य में निर्गत होने वाले नियम/विनियम कें प्रतिकूल नहीं होगा।

(3) प्रबन्ध समिति कोई भी आयवृद्धि विषयक प्रस्ताव अपनी साधारण सभा के अनुमोदनोपरान्त ही उपरोक्तानुसार गठित समिति को प्रस्तुत करेगी तथा प्रस्ताव पारदर्शी, संगत नियमों के अनुकूल एवं सर्वसुलभ हों।

(4) उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आय, प्रबन्धक व जिला विद्यालय निरीक्षक के संयुक्त खाते में जमा होगी तथा निष्प्रोज्य भूमि के विक्रय से प्राप्त आय को प्रबन्धक व जिला विद्यालय निरीक्षक के पृथक संयुक्त खाते में जमा/निवेशित किया जायेगा।

(5) प्रबन्ध समिति उपरोक्तानुसार होने वाली आय केवल विद्यालय के विकास एवं उत्थान के लिए ही उपयोग करेगी। विद्यालय के विकास एवं उत्थान के लिए जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे वे विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही समिति में स्वीकार्य/ग्राह्य होंगे।

(6) उक्तानुसार आय एवं उसके व्यय का आडिट/वित्तीय सर्वेक्षण पंजीकृत सी0ए0 से कराकर वार्षिक आडिट रिपोर्ट समस्त अभिलेखों सहित वित्त एवं लेखाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आडिट रिपोर्ट **को समिति** के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(7)**विद्यालयवार अर्जित आय–व्यय का विवरण तथा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को विद्यालय तथा विभागीय बेवसाइट(विद्यालयवार) पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।**

(8) विभागीय आडिट इकाई विद्यालय से प्राप्त आडिट रिपोर्ट का परीक्षण कर सकेगी। विभागीय आडिट इकाई को आवश्यकतानुसार आडिट करने का विशेषाधिकार होगा।

(9) प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत सम्बन्धित जनपद के कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक में की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से शिकायत का निस्तारण न होने की दशा में शिकायत कर्ता द्वारा अपील समिति के समक्ष की जायेगी।

(10)उक्त प्रतिबन्धों का पालन न करने की दशा में प्रबन्ध समिति के विरूद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 एवं उ0प्र0 शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।